<u>अत्यन्त आवश्यक / सर्वोच्चप्राथमिकता</u>

कम्प्यूटर परिपत्र सं0-0708114

पत्रसं0-चे0पो0-25क-परिपत्र वैट व्यवस्था /2008/ 2265 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश

(चेक पोस्ट अनुभाग)

लखनऊ:: दिनांक:: 22 जनवरी 2008

समस्त

जोनल एडीशनल कमिश्नर

ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक / वि0 नु0शा0/प्र0/अपील/उ0न्या0कार्य/सर्वो0न्या0कार्य)

डिप्टी कमिश्नर /असिस्टेन्ट कमिश्नर /

चेक पोस्ट, सचलदल, वि0 नु0शा,कर निर्धारण, वाणिज्य कर उ0प्र0

<u>वाणिज्य कर अधिकारी , उ0प्र0 ।</u>

Key word 1-47-Verification Forms/ Penalty

कृपया मुख्यालय के परिपत्र सं0 स0के0-25-क- वैट व्यवस्था-2007/479/व्यापार कर दि0 29-12-07 का संदर्भ लेने का कष्ट करें जिसके द्वारा दिनांक 01-01-08 से प्रदेश में उत्तर प्रदेश वैट अध्यादेश 2007 के दिनांक 01-01-08 से प्रभावी होने से अवगत कराते हुए प्रर्वतन इकाईयों,विशेष रुप से जॉच चौकियों के कार्य में इस अध्यादेश के प्रभावी होते ही ट्रॉजिसन अवधि में उत्पन्न होने वाली सम्भावित कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए निर्देश प्रसारित किए गए है। इस परिपत्र के प्रस्तर -6 में निम्न व्यवस्था की गयी है :-

" सहायता केन्द्रों पर कतिपय वस्तुओं के संबंध में कमिश्नर द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार जो समाधान राशि जमा करायी जाती थी । इन वस्तुओं के संबंध मे उतनी ही राशि दिनांक 1-1-08 से अग्रिम आदेशों तक जमानत के रुप मे जमा करायी जायेगी (समाधान शुल्क नही) और विधि अनुसार अर्थदण्ड की कार्यवाही की जायेगी। यह निर्देश अग्रिम आदेशों तक प्रभावी होगे । "

मुख्यालय पर इस आशय की सूचना प्राप्त हुई हैं कि उपर्युक्त सुविधा का लाभ पंजीकृत व्यापारियों को भी प्रदान किया जा रहा है तथा विशेष रुप से कोयले के मामले में परिवहन किये जा रहे माल के कुछ भाग के लिये आयात घोषणा पत्र (फार्म-38) स्वीकार करने के साथ साथ शेष भाग के लिये पूर्व जारी समाधान योजना की दर से जमानत के रुप मे सहायता केन्द्रों पर धनराशि वसूल की जा रही है ।

इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त वर्णित परिपत्र संख्या-स0के0-25क-वैट व्यवस्था-2007// 479// व्यापार कर दिनांक 29-12-07 के प्रस्तर-6 के निर्देश केवल अपंजीकृत व्यापारियों के लिये लागू हैं तथा पंजीकृत व्यापारियो के मामले में माल का आयात घोषणा पत्र पर ही स्वीकृत किया जायेगा तथा सहायता केन्द्रों पर आयात घोषणा पत्र मे उल्लिखित माल से अधिक माल का परिवहन पाये जाने पर मुख्यालय के परिपत्र संख्या-479 दिनांक 29-12-07 का लाभ देय नही होगा। यदि व्यापारी द्वारा आयात घोषणा पत्र जारी करते समय विभाग द्वारा स्वीकृत की गयी मात्रा से अधिक माल का आयात किया जाता है तो वह व्यापारी एक से अधिक आयात घोषणा पत्र (फार्म-38) का प्रयोग कर सकते हैं । यदि पंजीकृत व्यापारी आयात घोषणापत्र(फार्म-38) का प्रयोग किए बिना माल का आयात करते हैं तो विधिनुसार कार्यवाही की जाएगी ।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

ह0/

(सुनील कुमार)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश ।

पृष्ठांकन पत्र सं0 व दिनांक उक्त ।

1- प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।

2- निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।

3- संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ (दो प्रतियों में ।

4- अध्यक्ष / निबन्धन उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर , लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण वाणिज्य कर उ0प्र0 ।

5- अपरनिदेशक, संयुक्त निदेशक / उपनिदेशक / सहायक निदेशक, वाणिज्य कर, प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ ।

6- महालेखाकार, 171-ए, अशोक नगर, इलाहाबाद ।

7- वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी,सतर्कता अधिष्ठान , विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ।

8- प्रबन्धक , इसेंटिव, पिकप, राणाप्रताप मार्ग, लखनऊ।

9- समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

10- सीनियर डिप्टी एकाउन्टेंट जनरल, रेवेन्यू आडिट विंग, स्टेट आफिसआफ दए0जी0 ाडिट 11, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।

11- विकास आयुक्त,नोएडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, सेक्टर-10, नोएडा।

12- मैअनुल / सूचना केन्द्र/ नई इकाई / वैट अनुभाग / चेकपोस्ट मुख्यालय को क्रमश: 5/5/5/10/50 प्रतियॉ अतिरिक्त।

13- समस्त अनुभाग / अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय।

14- अध्यक्ष ,उत्तर प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैलफेयर एसो0, 185 / 293, अमीनाबाद रोड,गणेश गंज, लखनऊ।

15- अधिशासी निदेशक,उद्योग बन्धु,सी-15, मालएवेन्यू, लखनऊ।

16- श्री श्याम बिहारी मिश्र,उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल,87/349, आर्या नगर, संगीत टाकिज के पीछे, कानपुर।

17- श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, कंछल कुँज, 66, शास्त्री नगर, लखनऊ।

18- श्री संदीप बंसल, सदस्य राज्य स्तरीय वाणिज्य कर सलाहकार समिति 29-बी, विधायक निवास दारुलसफा, लखनऊ।

19- मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स, 14/26 , सिविल लाइन्स, कानपुर।

20- एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एंड इंण्ड0 4/180, विशाल खएड, पी0वी0-17,गोमती नगर, लखनऊ

21- पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एंड इंड0 1-ए, ला-प्लास, शाहनजफ रोड,लखनऊ।

22- अवध चेम्बर आफ कामर्स एंड इंड0 द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इंड0,ऐशबाग, रोड, लखनऊ।

23- आल इडिया मैन्युफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन, डी-4 , साइट सं0-3, मेरठ रोड, इंण्डस्ट्रीयल एरिया,गाजियाबाद।

24- कनफेडरेशन आफ इन्डियन इंड0एसोसिएशन, प्लाट-ए, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

25- राज्य स्तरीय सलाहाकार समिति के सभी सदस्यों / सम्भागीय सलाहकार समिति के सदस्यों को संबंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) के माध्यम से।

26- प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10 इंजीनियर्स काम्पलेक्स, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली।

27- शिव कुमार रोडा,एडवोकेट, महासचिव, उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसो0जमुना बिहार, एस0 एस0 कालेज रोड, खतौली जिला मुजफ्फरनगर।

28- श्री मदनमोहन भारतीय , एडवोकेट सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणउ0प्र0शासन , 26/103, बिरहाना रोड,कानपुर।

29- प्रो0 डा0 सुरेन्द्र नाथ, डीन, फकल्टी आफ लॉ, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस।

30- प्रो0श्रीमती रंजना कक्कड़, 15,टैगोर टाउन, इलाहाबाद।

31- डा0छेटी लाल साथी , ए-5/1579, इन्द्रा नगर, लखनऊ।

32- श्री बी0 एन0 राय, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि यू0पी0 टैक्स बार एसो0 45 चन्द्रिकाकालोनी , सिगरा , वाराणसी।

33- श्री अशोक धवन, सी के -24/1, कुँज गली, चौक, वाराणसी।

34- श्री नेकी राम गर्ग, अध्यक्ष , पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, 707, पंचशील कालोनी , महाबीर चौक, म0नगर।

35- श्री पी0 एस0 जैन, 138-ए, ब्लाक-ए, सेक्टर-27, नोएडा।

36- श्री ब्रित चावला, महासचिव(पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी) उ0प्र0 ट्रक आपरेटर्स, फेंडरेशन (रजि0), पुलदाल मंडी , सहारनपुर।

37- श्री आर0 डी0 गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी, इलाहाबाद।

38- श्री संतोष कुमार(पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भ0जा0पा0 निवासी, 60, चाहचन्द, इलाहाबाद।

39- श्री शैलेश मिश्रा, महामंत्री, लोहा व्यापार मंडल, उत्तर प्रदेश , 19-सुरेशबाग, कानपुर।

40- इन्डियन इंड0एसो0 , 159/ए-8,15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक, मु0नगर।

41- संयोजक, टैक्सेशियों एकैडमिक एंड वेलफेयर फोरस एसो0 वेस्टर्न यू0पी0(रजि0) 52, नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड, मेरठ।

42- टैक्सेशन बार एसोसिएशन कार्मिशियल टैक्स बार रुम, जयपुर हाऊस , आगरा।

43- श्री मलिक विजय कपूर, चेयरमैन, कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0प0 स्टेट लि0 50-बी,उद्योग नगर, कानपुर ।

44- श्री अनिल कुमार बंसल, दि0 यू0पी0 रोलर फ्लोर मिलर्स, एसो0-3 एक्स, गोखले मार्ग, लखनऊ ।

45- श्री दिनेश अरोरा, उ0प्र0 वनस्पति प्रोडूयसर्स एसो0, 51/58-ए, शक्कर पटटी, कानपुर ।

46- श्री नन्द लाल,उपाध्यक्ष, उ0प्र0 टेट व्यापार एसो0 565/566,राजेन्द्र नगर ,लखनऊ ।

47- श्री हुलास राय सिंघल , प्रदेश अध्यक्ष, एफ-3 पार्क रोड, लखनऊ ।

48- श्री अरुण कुमारअवस्थी, प्रान्तीय संगठन मंत्री, अखिल भारतीयउद्योग व्यापार मंडल (पंजी0) बी-29, विधायक निवास, दारुल शफा, लखनऊ ।

49- माननीय अध्यक्ष, वाणिज्य कर सलाहाकार समिति, सचिवालय, लखनऊ ।

50- श्री गोपाल अग्रवाल , राष्ट्रीय महामंत्री आल इंडियाउद्योग व्यापारप्रतिनिधि मंडल, 27-ए, मिशन कम्पाउन्ड,मेरठ ।

51- श्री दिनेश चन्द्र मित्तल, उपाध्यक्ष, उ0प्र0 कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए, बी0एन0रोड,अमीनाबाद, लखनऊ ।

52- अध्यक्ष, आई0 ाई0ए0 इण्डियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन भवन, विभूति खंड,फेस-2, गोमती नगर, लखनऊ 226010 फोननं0 2720097 ।

53- वैट लॉ जनरल, 10 नगर निगम कम्पाउन्ड, कैसर गंज रोड, मेरठ ।

54- वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल, मंडल उपाध्यक्ष , अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल (पंजी0) मंडल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा, सादाबाद गेट, हाथरस ।

ह0/
(जगमोहन लाल शर्मा)
ज्वाइन्ट कमिश्नर (चे0पो0) वाणिज्य कर
मुख्यालय , लखनऊ ।